राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1610 / 2024

अब्दुल सलीम

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक जोधपुर।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.04.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा निलम्बन आदेश 04.07.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.07.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13 (2) के तहत निलंबित कर दिया गया और उसका मुख्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर कर दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ए.सी.बी. के कर्मचारी द्वारा वन विभाग के गेस्ट हाऊस में तोड़–फोड करने की शिकायत करने के कारण एसीबी द्वारा रंजिश वश अपीलार्थी को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। अपीलार्थी को अनुकम्पा के आधार पर वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। कार्यालय आदेश दिनांक 24.02.2001 (अनुलग्नक–3) द्वारा उप वन संरक्षक वन्यजीव, चित्तौड़गढ में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी अपनी सेवा के दौरान विभिन्न वन रेंजों में पदस्थापित रहा है और उसे क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम के पद पर पदोन्नति किया गया। उप वन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बस्सी के रूप में एक एफआईआर संख्या 175 / 2023 दिनांक 05.07.2023 को एसीबी चित्तौड़गढ, पुलिस स्टेशन सीपीएस एसीबी जयपुर में दर्ज कराई गई और एसीबी प्रकरण संख्या 286 / 2023 में दिनांक 02.11.2023 को धारा

7, 8, 12 पीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के तहत दिनांक 04.07.2023 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था तथा संशोधित आदेश दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 04.07.2023 में उप वन सरंक्षक, वन्यजीव उदयपुर के स्थान पर उन वन संरक्षक, वन्यजीव चित्तौडगढ़ तथा क्षेत्र वन अधिकारी रेंज बस्सी के स्थान पर क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज बस्सी पढा जावे। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 22.02.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा रेंज बस्सी, उप वन संरक्षक, वन्यजीव चित्तौडगढ़ से पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर किया गया। अपीलार्थी के समान प्रकरण पर आधारित माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 2545/2023 डॉ0 राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनिांक 08.01.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा निलम्बन आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई गई। अतः अपील प्रस्तुत कर लम्बे समय से चल रहे निलम्बन आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को समस्त परिणामिक परिलाभ सहित बहाल करने का अनुतोष चाहा।

2. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2023 जारी किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 एवं ए–2 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> ''ए–1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।
>
> लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।
>
> ए–2 भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की

अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।''

3. अपीलार्थी को निलंबित किये तीन माह से ज्यादा की अवधि व्यतीत हो चुकी है। अपीलार्थी ने बहाल करने हेतु अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ में पारित निर्णय एवं एसबीसीएमडब्ल्यू 16158/2023 डॉ मोहन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2023 के मध्यनजर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 को दृष्टिगत इस प्रकरण को पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन आदेश दिनांक 04.07.2023 (अनुलग्नक–1) को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर आवश्यक निर्णय पारित करेगी।
4. उक्त कार्यवाही दो माह की समयावधि में सम्पादित करना सुनिश्चित किया जावे। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य